



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्बत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 743/वि०स०/संसदीय/72(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा; प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या 5  
सन् 2008 में नई  
धारा 29क का  
बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

“29क-(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति अधिसूचना द्वारा ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

2-इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

**स्पष्टीकरण :-** इस धारा के प्रयोजन के लिए पद ‘अपरिहार्य घटना’ का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।”

निरसन और  
व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या 14  
सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्था उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) माल के अंतः राज्यीय विक्रय पर कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण का उपबन्ध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

2-कोविड-19 के कारण लाक-डॉउन के फलस्वरूप करदाताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को नियंत्रित करने हेतु सरकार को, भूतलक्षी प्रभाव से (अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से अपूर्वतर) ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा तद्धीन अधिसूचित समय-सीमा में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करने के लिये, उक्त अधिनियम में एक नई धारा बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया।

3-चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

4-यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,  
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड 2 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 29क की उपधारा (1) में राज्य सरकार को ऐसी रीति और समय को विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिसमें ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, की समय सीमा में वृद्धि कर सकेगी।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

योगी आदित्यनाथ,  
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR  
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 544/XC-S-1-20-31S-2020  
Dated Lucknow, September 18, 2020

**NOTIFICATION**

**MISCELLANEOUS**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Moolya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

*further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2020; Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 31<sup>st</sup> March, 2020.

Insertion of new section 29A in U.P. Act no. 5 of 2008

2. *After* section 29 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"29A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by notification extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act or rules made there under in respect of actions which can not be completed or complied with due to *force majeure*.

(2) The power of this section shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

*Explanation*-For the purpose of this section the expression *force majeure* means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020. is hereby repealed.

U.P.  
Ordinance  
no. 14 of  
2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this act were in force at all material times.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act (U.P. Act no. 5 of 2008) has been enacted to make a provision for levy and collection of tax on *intra-state* sale of goods by the State of Uttar Pradesh.

2. To overcome the difficulties faced by tax payers, arising by reason of Lockdown due to COVID-19, it had been decided to inset a new Section in the said Act to empower the Government to extend the time limit retrospectively (not earlier than the date of commencement of the Act), specified in or prescribed or notified under this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to *force majeure*.

3. Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 14 of 2020) was promulgated by the Governor on July 06, 2020.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH,  
*Mukhya Mantri.*

By order,  
J. P. SINGH-II,  
*Pramukh Sachiv.*